FORM ###

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

हनुमान बनाम बदामी देवी वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) राज0 का0 अधि0 मु0नं0 456 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/886

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
25-07-2025	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। आवेदक/प्रार्थी की ओर से श्री मुरारी लाल यादव एडवोकेट उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार पाटन से प्रकरण में रास्ते के संबंध में जांच रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहरीर जारी होकर एवं अप्रार्थी की तलबी जरिए सम्मन की जाकर मिसल दिनांक 31.07.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
31/07	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 04/08/25 को पेश हों। (हस्ताक्षर)	
04/08/2025	वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थीगण की तलबी पूर्व में सम्यक रूप से होना पायी गयी। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः अप्रार्थीगण/अनावेदकगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। तहसीलदार पाटन से प्रकरण में रास्ते के संबंध में रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहरीर जारी होकर मिसल दिनांक 13/08/2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26/8/25 को पेश हों। (हस्ताक्षर)	
26/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. P.O ... पर हैं। पत्रावली पूर्व आदे... दिनांक 27/8/25 को पेश ... (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav

Date: 2025.10.06 15:28:02 IST

Reason: SelfAttested

पत्रावली पेश हुई। वकीलान उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29/8/25 को पेश हो।

29/8/25

पत्रावली पेश हुई। वकीलान उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 3/9/25 को पेश हो।

3/9 पत्रावली पेश हुई। वकीलान उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 09/9/25 को पेश हो।

09/09/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थना पत्र पर बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने तहसीलदार पाटन से प्राप्त रिपोर्ट पर सहमति जाहीर करते हुए मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार पाटन रास्ता दिलवाया जाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, तहसीलदार पाटन से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर सगौर मनन किया गया। चूंकि मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट प्रार्थी की तन ग्राम बागावाला पटवार हल्का डूंगा की नांगल अवस्थित खातेदारी भूमि ख0 नं0 311 में आने जाने के लिए न्यूनतम दूरी का रास्ता ख0नं0 312, 314, 319 व 357 के अनुसार हैं जो आगे जाकर वन विभाग की भूमि में दर्ज रास्ता से संयुक्त हैं यह रास्ता मौके पर बन्द किया [illegible] निकटतम रास्ते में प्रभावित ख0नं0 312 की किस्म गै0मु0नाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है यह भी [illegible] रहमान प्रकरण से संबंधित हैं। इस कारण से यह रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित नहीं हैं। जिसके चलते वैकल्पिक रास्ता के रूप में संलग्न नजरी नक्शा ट्रेस अनुसार ख0नं0 276, 180, 176, 146, 145, 144, 154, 141, 140, 134 व 131-

Signature Not Verified
Digitally signed by Ra[illegible] Yadav
Date: 2025.10.06 15:[illegible]
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से होकर प्रस्तावित हैं। तहसीलदार रिपोर्ट के साथ संलग्न टी.आर.ए. रिपोर्ट के अनुसार सिवायचक ख0नं0 की गणना अनुसार जमा योग्य राशि चालान जीआरएन नं0 0110115740 दिनांक 03.09.2025 द्वारा जमा की जा चुकी हैं। प्रस्तावित रास्ते में खातेदारी भूमि की डीएलसी दर से दुगुनी राशि जमा होना शेष हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पाटन को आदेशित किया जाता हैं कि प्रार्थी की तन ग्राम बागावाला पटवार हल्का डूंगा की नांगल अवस्थित खातेदारी भूमि ख0 नं0 311 में आने जाने के लिए भूमि ख0नं0 276, 180, 176, 146, 145, 144, 154, 141, 140, 134 व 131 में से मुताबिक नक्शा ट्रेस व तहसीलदार रिपोर्ट रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं। प्रार्थी से उक्त रास्ता भूमि की डीएलसी दर से दुगुनी राशि अप्रार्थीगण को दिलवायी जाकर उक्तानुसार रास्ता कायम किया जाना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पाटन को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज०) सत्यमेव जयते

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 16:28:02 IST
Reason: SelfAttested